FORM No. III

APP
Crll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

..... बनाम .....

मुकदमा ..... नं० ..... सन् .....

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हाय जवाब पेश किया गया कि प्रार्थीगण व एक्जार्मिन से 1 ला 7 एक ही हिन्दू अविभक्त खानदान के सदस्य हैं जिसे मुस्तगीसा के रू ने 916 रकबा 0.01 हैक्ट. 917 रकबा 1.27 हैक्ट. तथा 918 रकबा 1.05 कुल किग 03 कुल रकबा 2.33 हैक्ट. अधिपर काबिज 30 वर्ष से अधिक से दि 15-3-1973 से कब्जाकाश्त है एवं वर्तमान में भी काबिज काश्त है उक्त भूमि से लगते खेड़ का निर्माण होने से प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई है एक्जार्मिन ने अपने कब्जे की भूमि पर दुकान व पाटोल का निर्माण कराया है एक्जार्मिन उक्त भूमि ख. नं. 916 ला 918 पर भौतिक रूप से काबिज है अतः प्रार्थना पत्र का निवेदन है कि जवाब प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनिक स्थलीय फरमाया जावे। पटवार के पटवारी हल्का इन्डियल्स रिपोर्ट दि 4-7-2024 के अनुसार खाता सं. 64 के खसरा नं. 102, 787, 803, 804, 827, 828, 835, 867 पर खातेदारों का कब्जा काश्त है जबकि ख नं. 916, 917, 918 किग-3 रकबा- 2.33 हैक्ट पर एक्जार्मिन का कब्जा है जिसमें पाटोल व दुकान बनी हुई हैं प्रार्थनिक फरमाती निवेदाना, जवाब	०५५

०५५

T.I.

प्रकरण से

दयन्ती वर्मा बनाम कजोड़ वर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी तारीख हुक्म

उपखण्ड व पटवारी हल्का फड़ीपिस्ता रिपोर्ट दि० 4-7-2024 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र एकपक्षीय निषेधाज्ञा में गलत तथ्य वर्णित कर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी की है। वादग्रस्त खेत ख० नं० 916 ता० 918 पर प्रत्यर्थीगण का कौलिक कब्जा है। तथा उक्त जमीन पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा कृषत नहीं है। तदानुसार जाईना केसाई केस, सुविधा का सन्तुलन, एक्युमनी आदि का सिद्धान्त प्रत्यर्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करते एवं पत्रावली व पटवारी हल्का फड़ीपिस्ता रिपोर्ट दि० 4-7-2024 के अवलोकन के आधार पर उभयपक्ष में सुलिखित से नई-64 पुरानी-61 के ख० नं० 102/187 803, 804, 827, 828, 835, 867, 916, 918, 917 कुल क्षेत्र-11 कुल रकबा 4-27 हेक्टर ग्राम मौजा बैंसला का बास बड़ियाल कलाँ तह० बांदीकुई जिला-दौसा बजट जारी एकतरफा एकपक्षीय निषेधाज्ञा जोरेम दि० 18.5.2024 वकेट किया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र एकपक्षीय निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

24/7/24

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई